भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4220
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

स्वामित्व योजना

4220. डॉ. शशि थरूरः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वामित्व योजना के अंतर्गत गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के अंतर्गत अपने दस्तावेज प्राप्त करने वाले किसानों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय समाजों में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन को किसी आलोचना का सामना करना पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना का प्रभावगत मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में किसानों सहित गांव के संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। अब तक,1.73 लाख गाँवों में 2.63 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न हैं।

(ख) जी नहीं, मंत्रालय को जनजातीय क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी आलोचना की जानकारी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हाँ, पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना के पायलट फेज (2020-2021) में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के माध्यम से छह राज्यों : हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रभावी मूल्यांकन किया था।प्रभावगत मूल्यांकन अध्ययन ने ग्रामीण संपत्ति मालिकों को आवासीय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाते हुए, संपत्ति के अधिकार प्रदान करने और बसे हुए क्षेत्रों के लिए सटीक भूमि अभिलेख तैयार करने में स्वामित्व योजना की आवश्यकता पर बल दिया। इसलिए, पायलट राज्यों के प्रभावगत मूल्यांकन अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है।

***

अनुलग्नक-I

'स्वामित्व योजना' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4220 जिसका उत्तर दिनांक 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार संपत्ति कार्डों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तैयार किए गए संपत्ति कार्ड (गाव)	तैयार किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या
अंडमान वनिकोबार द्वीपसमूह	141	7409
आंध्र प्रदेश	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	0	0
छत्तीसगढ़	1867	123491
दादराएवंनगर हवेली और दमनएवंदीव	75	4397
दिल्ली	0	0
गोवा	410	672646
गुजरात	8882	1453879
हरियाणा	6260	2515646
हिमाचल प्रदेश	364	5419
जम्मू और कश्मीर	1294	43910
झारखंड	0	0
कर्नाटक	4131	1028671
केरल	0	0
लद्दाख	225	18788
लक्षद्वीप द्वीपसमूह	10	13563
मध्य प्रदेश	37931	4610793
महाराष्ट्र	20236	3271177
मणिपुर	0	0
मिजोरम	27	2909
ओडिशा	43	1716
पुद्दुचेरी	92	2801
पंजाब	178	24089
राजस्थान	14779	1248332
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	893	571783
उत्तर प्रदेश	68377	10486961
उत्तराखंड	7441	278229
कुल	**173272**	**26307736**

सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना में केवल पायलट गांवों का कार्य पूरा हुआ है, राज्यों ने इस योजना को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है।

***